न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
आवेदन संख्या : 113/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भागीरथ पुत्र ईशराराम 2. सुरता पुत्र हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।		1. डालूराम पुत्र खेमाराम 2. तिलोकाराम पुत्र जेठाराम 3. वालाराम पुत्र जेठाराम 4. लालाराम पुत्र प्रभुराम 5. वन्नाराम पुत्र प्रभुराम 6. केसाराम पुत्र ताजाराम सभी जातियान जाट 7. खेराजराम पुत्र भारमलराम 8. भारताराम पुत्र भारमलराम 9. राणाराम पुत्र भारमलराम सभी जातियान भील, निवासी सुदाबेरी खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 08/07/22

अधिवक्ता :– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15/12/22

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की खेत ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 28/3 क्षेत्रफल 6.1512 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आयी हुई है। जिसकी चालु जमाबंदी व नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खसरों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की गाउ तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में काश्त एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण के खेत ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा सं. 28/3 क्षेत्रफल 6.1512

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested

15.12.22
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

हैक्टेयर किश्म बा. सोयम में प्रार्थीगण अनवरत रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं जबकि विप्रार्थीगण हर समय प्रार्थीगण के सेढ़े को काट कर प्रार्थीगण के खेत में घुस कर जबरदस्ती काश्त कर लेते हैं विप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रार्थीगण के खेत में दखलअंदाजी करते रहते हैं इस विवाद के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने से प्रार्थीगण के द्वारा करवाए गए कच्चे नाप को नहीं मानकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपस में हर समय झगड़ा होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण के खेत में स्थाई सीमा चिह्न कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2022 को करवाया गया परंतु मौके पर विवाद होने के कारण सही नाप व शांति व्यवस्था हेतु हल्का पटवारी द्वारा श्रीमानजी के समक्ष आवेदन पेश करने का सुझाव दिया प्रार्थीगण के खेत की सीमाज्ञान मौका फर्द साथ संलग्न पेश है साथ ही प्रार्थीगण शांत किस्म का होने के कारण हर समय बेवजह विवाद नहीं हो इस हेतु यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी मौके पर नेखम उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी फीस अदा करने को तैयार है। तथा तहसीलदार धोरीमन्ना को कमीश्नर नियुक्त करते हुए पुलिस ईमदाद के साथ पक्के नेखम स्थापित किए जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अंतर्गत 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकर्र न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रुपए का साथ पेश है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 28/3 क्षेत्रफल 6.1512 हैक्टेयर किश्म बा. सोयम की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 को भेजे गए नोटिस चार माह से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि [illegible] सुदाबेरी, पटवार हल्का–सुदाबेरी के खसरा सं. 28/3 रकबा 6.1512 हैक्टेयर [illegible]नी सोयम के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने [illegible] हल्का द्वारा तहसीलदार–धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए [illegible] की मौका फर्द दिनांक–29.06.2022 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा खसरा [illegible] 28/3 रकबा 6.1512 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आराजी का सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ौसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

15.12.22
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: Self Attested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा– सुदाबेरी, पटवार हल्का–सुदाबेरी के खसरा सं. 28/3 रकबा 6.1512 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा सं. 28/3 रकबा 6.1512 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

15.12.22

(उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर)

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख
अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

15.12.22

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख
अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.01.30 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested